कोई कार्यवाही नहीं करना।

12.6.17 → पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर नहीं, वादी प्रहलाद पुत्र बजरंग हाजिर। सुना गया। वादी ने उपस्थित होकर बताया कि ग्राम उबखेड़ा हिंगोरिया की जमाबंदी संवत् 2068-71 के खाता सं. नया-पुराना 204-188 खसरा नं. 1747 रकबा 3-13-10 चा. I प्रहलाद, राजेन्द्र पि० बजरंगदास

कौम साधु जातिन, देह के नाम दर्ज है। वादी खातेदार है तथा प्रतिवादी सं. 4 भी खातेदार है। वादी ने वादपत्र अंतर्गत धारा 183, 92A, 188, 209 RT Act के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के खिलाफ ब्लाक रोड को हटाकर जबरन कब्जा वादी व प्रतिवादीगण/अन्य को दिलवाया जाने की प्रार्थना की थी।

आज स्वयं आपके द्वार शिविर ...... में पक्षकारान के आपसी राजीनामा होने से वादी कोई कार्यवाही नही चाहता है अतः वाद पत्र के कार्यवाही समाप्त की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय मजमे आम में सुनाया गया।

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

सदस्य
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner